न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी

अन्तर सिंह नेहरा
आई.ए.एस.

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
87/प्रा०पत्र/15	12.05.2015	03.06.2020

राजस्थान सरकार जरिये
तहसीलदार, इन्द्रगढ (जिला बून्दी)

— प्रार्थी

बनाम

रामरतन आ. देवीराम कौम मीणा,
निवासी ग्राम खरायता, तहसील इन्द्रगढ, जिला बून्दी

— अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 17(4) राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम,1954

उपस्थित—
प्रार्थी की ओर से पेरोकार सरकार।
अप्रार्थी के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही।

निर्णय

न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.) सत्यमेव जयते

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अप्रार्थी रामरतन आ. देवीराम जाति मीणा, निवासी ग्राम खरायता को किये गये भूमि आवंटन खसरा सं0 353 मिन रकबा 6 बीघा 07 बिस्वा वाकेग्राम डपटा आवंटन आदेश दिनांक 24.10.1977 को निरस्त किये जाने हेतु नियम 17(4) राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है। मूल आवंटन पत्रावली संलग्न प्राप्त हुई।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर, दर्ज रजिस्टर किया जाकर, अप्रार्थी वास्ते जवाब जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी का नोटिस उसके पुत्र लटूरलाल पर तामील होकर प्राप्त हुआ, किन्तु बावजूद सूचना उपस्थित न्यायालय नहीं आने पर अप्रार्थी के विरूद्ध दिनांक 19.02.2020 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

बहस पेरोकार सरकार सुनी गयी ।

जिला कलेक्टर, बून्दी

पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि वादग्रस्त आराजी अप्रार्थी रामरतन को दिनांक 24.10.1977 को आवंटन की गई थी, आवंटी द्वारा आवंटित भूमि पर काश्त नहीं की गई और आवंटी द्वारा आरक्षित मूल्य भी जमा नहीं करवाया गया है। उक्त आराजी पर बिहारीलाल आ. औंकार जाति मीणा निवासी डपटा का कब्जा है। जिस कारण आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं किया जाना प्रमाणित है। ऐसे में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं किये जाने से आवंटन निरस्त किया जाकर भूमि सिवायचक दर्ज रेकार्ड की जावें।

न्यायालय ने पत्रावली एवं उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया एवं बहस पर गहनता से मनन किया। आवंटी रामरतन आ. देवीराम जाति मीणा निवासी खरायता को दिनांक 24.10.1977 को ग्राम डपटा की सिलिंग सरप्लस आराजी खसरा संख्या 353 मिन रकबा 6 बीघा 07 बिस्वा भूमि मिसल संख्या 290/77 पर आवंटन किया जाना प्रकट है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में आवंटित भूमि पर आवंटी का कब्जा काश्त नहीं होना अंकित कर आवंटन खारिज किये जाने बाबत यह कार्यवाही पेश की गई है। आवंटन पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि आवंटी द्वारा दिनांक 22.11.1977 को ही आवंटित भूमि का कब्जा प्राप्त नहीं करने बाबत प्रार्थना पत्र पेश कर दिया था। तहसीलदार इन्द्रगढ द्वारा अप्रार्थी को जारी नोटिस दिनांक 01.12.2000 से आवंटी के विरूद्ध आवंटन के पेटे 13,585/— रूपये की राशि बकाया होना जाहिर है। पत्रावली से यह प्रकट होता है कि आवंटी द्वारा उक्त आवंटन में प्रारम्भ से ही रूचि नहीं ली है, उसने न तो राशि जमा करवाई और न ही भूमि का कब्जा प्राप्त किया, अपितु आवंटी ने इन्कारनामा दिनांक 22.11.77 से कब्जा प्राप्त नहीं करने की लिखित में निवेदन भी किया गया था। वस्तुतः उक्त भूमि सीलिंग भूमिधारी शंकर पुत्र लक्ष्मण मीणा के परिजनों के कब्जे में चली आ रही है। ऐसे में आवंटी को किया गया आवंटन निरर्थक है, इससे भूमि आंवटन का उद्देश्य पूर्ण नहीं हुआ है।

न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.) सत्यमेव जयते

परिणामस्वरूप प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थी रामरतन आ. देवीराम मीणा निवासी खरायता को दिनांक 24.10.77 को किया गया भूमि आवंटन खसरा सं0 353 मिन रकबा 6 बीघा 02 ग्राम डपटा निरस्त किया जाता है। तहसीलदार इन्द्रगढ उक्त आराजी (हाल खसरा सख्या 469 रकबा 0.97 हैक्टेयर ग्राम डपटा) को नियमानुसर कब्जे सरकार लेकर सिवायचक दर्ज रेकार्ड करने की कार्यवाही करे।

आदेश आज दिनांक 03.06.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

3/6/2020

(अन्तर सिंह नेहरा)
जिला कलेक्टर, बून्दी

Signature Not Verified
Digitally signed by Antar Singh Nehra
Date: 2020.06.04 15:57:10 IST
Reason: SelfAttested
Location: